

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ-4(ई)II / एपीओ/अलेसे-III / 7184-7202

दिनांक: 8-11-12

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित लेखाकर्मियों की उनके नाम के सामने अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(III) के अन्तर्गत वित्त विभाग के पत्रांक एफ-2(25)वित्त/राजस्व/2010 दिनांक 02.11.2012 द्वारा नियमित कर वेतन आहरण की स्वीकृति प्रदान की है। अतः आदेशों की प्रतीक्षा अवधि का वेतन भुगतान कॉलम संख्या 5 में अंकित विभाग/कार्यालय से किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा दी जाती है:-

क्र. सं.	नाम लेखाकर्मियों	आदेशों की प्रतीक्षा अवधि जो नियमित की गई		विभाग/कार्यालय जहाँ से वेतन का भुगतान किया जावेगा
		कब से	कब तक	
1	2	3	4	5

कनिष्ठ लेखाकार

1	कमलेश कुमार मिश्रा	19-07-12 to 13-09-12	सामुदायिक स्वा0 केन्द्र, सूरजगढ़ (झुन्झुनू)
2	राधेश्याम शर्मा	23-07-12 to 13-09-12	आयुक्त पंचायती राज विभाग, जयपुर
3	हरि प्रसाद सोनी	24-07-12 to 13-09-12	चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, जयपुर
4	अशोक कुमार चोपड़ा	25-07-12 to 13-09-12	भू-प्रबन्ध अधिकारी, बीकानेर
5	फूल चन्द सामरिया	31-07-12 to 13-09-12	डा0 अम्बेडकर आवासीय विद्यालय, अटरू (बौरा)
6	सतीश चन्द शर्मा	10-07-12 to 17-09-12	निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0, जयपुर

क्रमांक: एफ-4(ई)II / एपीओ/अलेसे-III / 7184-7202
प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

निदेशक
दिनांक: 8-11-12

1. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष

भेजकर लेख हैं कि सम्बन्धित लेखाकर्मियों का गत भुगतान प्रमाण पत्र के अनुसार ही आदेशों की प्रतीक्षा अवधि के वेतन का भुगतान करावें।

2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख हैं कि सम्बन्धित लेखाकर्मियों का गत भुगतान प्रमाण पत्र के अनुसार ही आदेशों की प्रतीक्षा अवधि के वेतन का भुगतान करावें।
3. प्रभारी, एनआईसी वित्त भवन, जयपुर को आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
4. डेस्क आफिसर कार्मिक(द्वितीय/लेखा-प्रशासन)
5. श्री

_____/क0लेखाकार कार्यालय

दिये जाते हैं कि वे अपना गत भुगतान प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग / कार्यालय को प्रस्तुत करें एवं प्राप्त भुगतान की सूचना भिजवावें।

6. निजी सहायक, निदेशक
7. निजी पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)